[Shri F. H. Mohsin.]

Mr. Chandrasekharan has said that Wakf Act has not served any useful purpose but he also admits that in some States the Wakf administration is really good. I cannot say the Wakf administration in all the States is very good but certain States have done really a lot and certain State Governments are also taking a lot of interest in the Wakf administration. But here in Delhi something needs to be done—I do admit. The necessity is that there are certain properties which are under the unauthorised occupation of third parties and without extending the limitation it is impossible to recover their possession. That is why we had to come to this House again. I hope we will be completing the survey within the course of a year and then take final steps thereupon.

Again T appeal to the Members to accept this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is :

'That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

re 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title Key added to the Bill.

SHRI F. H. MOHSIN : Sir, I move:

'That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE INDIAN WORKS OF DEFENCE (AMENDMENT) BILL, 1973

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Works of Defence Act, 1903. be taken into consideration."

Sir, this is a simple Bill. The Indian Works of Defence Act, 1903, came into operation on 20lh March; 1903. Tlie purpose of the Act was to impose restrictions on the use and enjoyment of Iand adjacent to the works of defence in order that such land may be kept free from buildings and other obstructions and for determining the amount of compensation on account of such imposition.

Sir, the machineiy to enforce such provisions of the Act has been specified under section 37 of the Act. Under this section, if the Collector or the officer authorised under section 6 is opposed or impeded in doing his duty as proposed in this Act, he is empowered to enforce compliance of this Act himself if he is himself a magistrate and if not, he has to apply to a magistrate and in the metropolitan cities of Calcutta, Madras and Bombay to the Commissioner of Police who shall enforce compliance of this Act. When the Act came into force there were only three Commissioners of Police in the metropolitan cities of Bombay, Calcutta and Madras. Now there are a few more Police Commissioners in Other cities also and in future there may be a few more Police Commissioners in other cities of the country. So this Act covers the fact of new Police Commissioners and the possibility of some future Police Commissioners in the country.

Sir, while this is the major purpose of this amendment, the Government took advantage of this occasion to bring forward a few more amendments of a very simple nature. When this Act came into being it was 1903, as I said earlier, and

during those days the Act had to be prefixed by the word "Indian" because India then was a part of the British Empire. After independence, no such word as "Indian" is prefixed before any Act. So, the purpose of this amendment is to omit the word "Indian" from the title of this Act.

The third amendment concerns the rule-making power under this Act. In all matters of enforcement of this Act, the rules that are made have to be notified in the Gazette and they come into operation after notification in the Gazette. But, now. under the present rules, the Committee on Subordinate Legislation has laid down a rule that all such rules have to be brought before both the Houses of Parliament. So, this amendment seeks to bring this fact into existence.

With these words, Sir, I move the Bill.

The question was proposed.

I MR. DEPUTY CHAIRMAN : I would request the honourable Members to take ten minutes or even less than ten minutes. Yes, Mr. Nawal Kishore.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : मैं दस मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है कि एक दो मिनट बढ़ जायें । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्रीमन् पटनायक जी ने जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, यह बहुत छोटा सा विधेयक है और मुश्किल से इसमें चार सेक्शन हैं । इस संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वाद-विवाद की बात नहीं है । इसलिये इस विधेयक का तो मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि एक संशोधन जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया यह है कि इसमें "इंडियन" शब्द निकाल दिया गया है । दूसरे उन्होंने यह कहा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो नियम बना है रूल्स बनाने के संबंध में, उसको उन्होंने इसमें इंकारपोरेट कर दिया है यह बात सही है ; क्योंकि जो सेक्शन 44 था उसमें अब तक यह लिखा था कि :—

"The Central Government may make rules for the guidance of officers in all matters connected with the enforcement of this Act ... All rules made under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon have effect as if enacted in this Act."

उस वक्त पार्लियामेंट के सामने उनको ले डाउन करने की जरूरत नहीं थी । यह ठीक भी है कि जब 1903 में यह ऐक्ट बना तो उस समय हिन्दुस्तान में इंडियन पार्लियामेंट नहीं थी और सेंट्रल लेजिस्लेचर भी नहीं थी । आपकी ये दो चीजें इसमें बहुत ही उचित और मुनासिब हैं । श्रीमन्, जी इसके उद्देश्य और कारण हैं उनको उन्होंने भी पढ़ा और म भी पढ़ना चाहता हूं । वे इस प्रकार हैं :—

"The Indian Works of Defence Act, 1903, inter alia provides for the imposition of restrictions upon the use and enjoyment of land in the vicinity of works of defence in order that such land may be kept free from buildings and other obstructions."

मैं इसको बहुत एमफेसाइज करना चाहता हूं । यह इसका खास उद्देश्य था । फिर आपने लिखा है :

"The restrictions under the Act are imposed through civil authorities, normally the Collector."

यह भी बात ठीक है । फिर आपने कहा सेक्शन 37 के अन्तर्गत जो कि कलेक्टर है उसको यह अख्तियार है कि अगर दफा 6 के अन्तर्गत कोई उसके आदेशों में विरोध करे या रुकावट डाले तो अगर वह स्वयं मैजिस्ट्रेट है तो वह अपने आदेशों को कार्यान्वित करा सकता है और अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो वह मैजिस्ट्रेट को लिखेगा या पुलिस कमिश्नर को उनके कार्यान्वयन के लिये लिखेगा । चूंकि उस जमाने में पुलिस कमिश्नर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में ही होते थे, इसलिये तीन जगहों के नाम उसमें लिखे हुये थे । अब और जगह भी पुलिस कमिश्नर हो गये हैं और यह भी संभावना है कि आगे चल कर और जगहों पर भी पुलिस कमिश्नर बनाये जायें, इसीलिये इसमें जो आप अमेंडमेंट लाये हैं, उसमें बजाय इसके कि नाम हों आपने यह लिखा है :

"In section 37 of the principal Act, for the words and brackets 'or (within the towns of Calcutta, Madras and Bombay) to the Commissioner of Police'

[श्री नवल किशोर]

the words and brackets 'or (within any area for which a Commissioner of Police has been appointed) to the Commissioner of Police' shall be substituted."

तो जहां तक यह दोनों इन्नोसेंट अमेंडमेंटस का ताल्लुक है, मुझे उन पर कोई आपत्ति नहीं और इन का स्वागत करता हूं। मगर अपने भाषण में आपने यह नहीं बताया कि 70 साल का जो यह आप का ऐक्ट है उस का कार्यान्वयन किस तरह होता रहा है। मेरी मालूमात यह है कि इस बिल का इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हुआ हम यह पढ़ा करते थे और आज भी अपनी जगह पर यह बात सही है कि कानून के आगे हर इंसान की हैसियत एक सी है। यह बात कहने को तो कही जाती है, लेकिन मुझ को लगता है कि इस बिल के इंप्लीमेंटेशन में जान में या अनजान में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उस का एक पार्टिजन तरीके से इंफोर्समेंटेशन हुआ है हिन्दुस्तान में। मैं श्रीमन् बहुत पुरानी बातों में नहीं जाता, अभी की बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने...

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज और हिन्दुस्तानी कानून के सामने सब एक तरह से देखे जाते थे।

श्री नवल किशोर : मैं तो आजाद हिन्दुस्तान की बात कह रहा हूं। तो हरियाणा सरकार ने 400 एकड़ जमीन स्केवायर की इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिये और उसमें से करीब 296 एकड़ जमीन दी एक यूनिट को छोटी मोटर बनाने के लिये, मारुती कारखाने के लिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि उन्होंने जमीन दे दी ठीक किया, लेकिन शिकायत यह है कि जब आप का कानून यह था कि डिफेंस इंस्टालेशन्स के एक हजार गज के आस पास कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, कोई स्ट्रेक्चर नहीं होगा, तब क्यों ऐसा हुआ कि उस नियम के होते हुये भी मारुति ने वहां अपनी बिल्डिंग बनायी और वह इमारतें जो उन की प्रोहिबिटेड लिमिट है एक हजार गज की उस के अंदर आती है। श्रीमन मैं अपनी तरफ से यह बात नहीं कहता मेरी इत्तला यह है कि जो एयर कमांडिंग आफिसर थे मिस्टर महेंद्र सिंह, उन्होंने इस पर आपत्ति की थी, उन्होंने कहा कि यह जो एक्वीजीशन हुआ है यह गलत हुआ है और यह जो ऐक्ट है आपका, जिसका आपने अमेंडमेंट पेश किया है उस की धाराओं का उल्लंघन ऐसा करके किया गया है और उन्होंने इस तरह की एक चिट्ठी हरियाणा स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को लिखी और डिफेंस मिनिस्ट्री को भी लिखी। इतना ही नहीं, इस जमीन के साथ-साथ, जिसमें कुछ तो सरकारी जमीन थी, उसके अलावा कुछ जमीन उन लोगों की एक्वायर की गयी जो कि फौजी अफसर थे। हरियाणा सरकार ने उनकी जमीन एक्वायर की, इसमें मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने जो एफीडेविट दिया जिसमें एयर मार्शल ओ० पी० मेहरा थे, एयर वाइस मार्शल श्री दीवान थे और एयर वाइस मार्शल श्री मोरसे भी थे, उन्होंने अपने उस एफीडेविट में कहा कि चूंकि हमारी यह जमीन प्रोहिबिटेड एरिया में आती है और यहां पर किसी तरह की कोई इमारत का कंस्ट्रक्सन नहीं हो सकता; इसलिये यह जमीन एक्वायर नहीं होनी चाहिये। लेकिन उसके बावजूद भी जमीन एक्वायर कर ली गयी। उन्होंने अपने एफीडेविट में डिफेंस सेक्रेटरी की जो चिट्ठी थी उसको भी कोट किया था और सबसे मजे की बात यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह जवाब दिया कि हमने हरियाणा स्टेट के कंसर्न्ड आफिसर को इस बात की इत्तला नहीं दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि इत्तला क्यों नहीं दी गई और एक बड़ा सवाल यह है कि अगर आप ने इत्तला नहीं दी तो यह गलती किसकी है? यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, डिफेंस मिनिस्ट्री की गलती है। और अगर आपने इत्तला भी नहीं दी तो अब एक्वीजिशन का काम हुआ तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? डिफेंस मिनिस्ट्री या कोइ और? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो चीजें हुई इससे मुझे संदेह इस बात का है कि इस ऐक्ट का कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसके अन्दर पक्षपात हुआ है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, अगर वह मारुति कारखाना न भी होता, कोई दूसरा कारखाना होता तब भी मेरी आपत्ति यही होती, मगर मैं एक बात जानता हूं कि अगर मारुति की बात न होती तो शायद कभी भी यह जमीन एक्वायर न होती। खैर, जमीन एक्वायर हुई, कहने को तो 400 एकड़ एक्वायर हुई इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम से मगर वहां इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना, लेकिन इससे बिल से कोई वास्ता नहीं है। आप ने कहा कि सिविल अथोरिटी कलेक्टर होगा और वह इसको कार्यान्वित करेंगे,

लेकिन दिक्कत क्या है ? कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, वह आप के अंडर रह कर काम नहीं करता। अब कलेक्टर की दिक्कत यह है कि आज के जमाने में इंडिपेंडेंट टाइप के कलेक्टर कितने हैं जो सही बात करेंगे ? जब उन पर प्रेशर पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट का तो कलेक्टरों को दबना पड़ता है और गलत काम भी करना पड़ता है और कभी कभी खुशामद में भी वे गलत काम कर देते हैं यह बात भी सही है। तो

3 P.M. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो एक्ट है इसके लिये क्या कोई ऐसा तरीका आप निकाल सकेंगे-या तो आप इस पाबन्दी को हटा दीजिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप यह कह दीजिये कि जहां डिफेंस के डिपो हैं या एम्युनिशन के डिपो हैं या डिफेंस के इंस्टालेशंस हैं वहां एक हजार की जगह सौ गज कर दिया जायेगा या दो सौ गज कर दिया जायेगा तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो चीज करें वह युनिफार्म होनी चाहिये लेकिन चीज यह है कि कि आपका नियम भी बना हुआ है और नियम का उल्लंघन भी हो रहा है यह मैं समझता हूं कि अच्छी और मुनासिब बात नहीं है इसमें आप संशोधन लाइये, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर आप चाहते नहीं हो कि यह एक्ट डेड लेटर बन कर रह जाय, यह बिल्कुल आपके कागजात या शेल्फ के अंदर पड़ा रहे, तो जरूरी है कि जो नियम हो युनिफार्म हो। सबको एकसा हो। अगर कोई गलत काम हो जाता तो लोग उसकी मिसाल देते हैं— जैसे कि इन्कम टैक्स के मामले में लोग कहते हैं कि किसी ऊंचे व्यक्ति से तो दो साल क्या दस साल की गलती या भूल हो गई और अगर हमसे दो साल की हो गई तो क्या हो गया। तो बड़े आदमियों की बात एक प्रिसिडेंट बन कर रह जाती है, वाकई में वह जेनविन गलती हो गई होगी, मैं भी भूल सकता हूं, प्रोफेसर शेर सिंह भी भूल सकते हैं, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर प्रोफेसर शेर सिंह भूल गये तो लोग उनकी बात को याद रखेंगे; क्योंकि वह सेंटर के मिनिस्टर हैं, लोग उसको एक मिसाल के तौर पर पेश करेंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): शेर के डर से बात नहीं करियेगा।

श्री नवल किशोर : इसी तरह से जो मारुति कारखाने के साथ नियमों का उलंघन हुआ और जिसके ऊपर गवर्नमेंट बिलकुल चुप रही, उस चीज को वाइट-वास किया इससे बैड प्रिसीडेंट आपने कायम किया है। तो मेहरबानी करके आप अपने नियमों में एक अमेंडमेंट लाइये, उतने हद तक प्रेसक्राइब्ड एरिया को रखिये जिसके कि बाहर मारुति की बाउंडरी आ जाती हो जिससे कि आइन्दा किसी को यह बात कहने का मौका न रहे, लेकिन जब तक यह आपका नियम है, तब तक अगर आप इस तरह का पक्षपात करते हैं तो न तो यह न्यायसगत है और न ही आगे के लिये यह एक प्रिसीडेंट होने से रुक सकेगा।

(Time bell rings)

श्रीमन्, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जहां तक इन दो तीन अमेंडमेंट की बात है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और जो संशोधन विधेयक है और इसके जो सेक्शंस हैं उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री ना० कृ० शेजवलकर (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय माननीय नवल किशोर जी ने बताया जहां तक इस अमेंडमेंट बिल के जो प्रावधान हैं, उनका सम्बन्ध है, उसमें तो कोइ विशेष आपत्ति की बात दीखती नहीं है; क्योंकि जो पहला संशोधन है उससे "इण्डियन" शब्द को हटाने की बात है वह ठीक ही है, उसमें कोई बात नहीं, उसी प्रकार से कमिश्नर्स भी और बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और जो तीसरा अमेंडमेंट है तो चूंकि मैं सब्र्रोडिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का सदस्य रहा हूं, इस लिये मैं जरूरी समझता हूं कि इस प्रकार के नियमों को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये, यह तो अच्छा ही है लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समय के अनुकूल कुछ प्रावधान लाने के स्थान पर छोटे-मोटे इस प्रकार के संशोधन लाने से क्या लाभ होगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस कानून का उद्देश्य क्या है ? इस प्रकार से जो एक हजार गज की सीमा निर्धारित करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है ?

[श्री ना० कृ० शजवलकर]

आपने जैसा कि बताया कि अगर एम्युनिशंस हैं तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या चीजें आपको रोकनी चाहिये—नये दृष्टिकोण से नई परिस्थितियों में इसका विचार करना जरूरी है। यह कानून बना था 1903 ई० में, उस समय से आज तक में इतना परिवर्तन हो गया है, 70 साल उसको हो गये हैं, लेकिन अभी भी वही पुराना कानून जैसे कि आंख मीच कर रखना चाहते हैं। तो जो मूल आधार है उस पर विचार करना चाहिये, लेकिन आप उस पर विचार करने को तैयार नहीं है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं; क्योंकि मुझे पता है कि मिलिटरी के अन्दर भी जैसे कि कैन्टूनमेंट के कानून का सवाल है, वह पुराना ऐक्ट है और उसमें संशोधन नहीं हो रहा और न नया कानून बनाया जा रहा है और जो गरीब काश्तकार हैं उसको दिक्कत होती है जैसे कि कांस्ट्रक्शन की बात है तो सवाल यह उठता है कि कुंआं एक कांस्ट्रक्शन है या नहीं या एक पम्प लगाना कांस्ट्रक्शन की तारीफ में आता है या नहीं ? अगर पम्प लगाना कांस्ट्रक्शन है तो वह सौ गज दूर पर रहे या दस गज दूरी पर रहे क्या फर्क पड़ेगा और अगर कोई खेती करने के लिये पम्प लगा ही लेता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन ऐसे अनेक काश्तकार हैं जो कि मामूली खेती करते हैं उनको रोक दिया गया, उनका पम्प वगैरह भी उखाड़ दिया गया और उनको इस प्रकार से तमाम परेशान किया गया। इसी तरह से मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता कि पिछले समय जो मारुति कार का 22 दिसम्बर, 1972 से लेकर मई, 1973 तक जो प्रकरण चला और जिसमें प्रिवलेज का भी सवाल आया था वह सबको पता है उसमें भी दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून का सही पालन करने के स्थान पर हमारे विधि मंत्री जो हैं उन्होंने एक दलील यह पेश की कि सन् 1962 ई० का नोटिफिकेशन भी हुआ था। लेकिन वह नोटिफिकेशन वैलिड नहीं था, यानी उन्होंने अपना केस एक्स पार्टे निर्णय कर लिया। आखिर निर्णय करने का अधिकार किस को है। अगर किसी न्यायालय में निर्णय किया जाता तो न्यायालय उसको घोषित कर सकता, लेकिन एक बार स्वयं ही नोटिफिकेशन करे वह मिनिस्ट्री और फिर स्वयं ही इस बात को कहे कि यह नोटिफिकेशन वैलिड नहीं था और दोबारा 1969 में नोटिफिकेशन हुआ उसके बारे में भी यही दलील दी कि वह वैलिड नहीं था; क्योंकि उन्होंने कहा 1962 के नोटिफिकेशन के बाद उसको नया नहीं किया, इसलिए वह सुपरसीड हो गया। उसमें दलील दी गई कि पहले वहां एम्युनिशन डिपो था, उसके स्थान पर हवाई जहाज का अड्डा हो गया इसलिए जगह बदल गई, उसके लिए कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। यही चीजें वकील अदालत के सामने बहस के रूप में रखे तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकले और फिर यह दलील पेश करें कि हमारा नोटिफिकेशन गलत है, यह कभी सुना नहीं है। आज बात सबको स्पष्ट हो चुकी है। यह भी हो सकता है प्रधान मंत्री का स्वयं का उसमें कहना न हो, लेकिन चाहे वह मुख्य मंत्री रहे हों चाहे हमारे न्याय मंत्री हों, कोई भी हों, प्रधान मंत्री को खुश करने के लिए इस प्रकार की कोई कार्यवाही की, ऐसा अगर मैं कहूं, तो मैं समझता हूं ज्यादा गलत नहीं होगा, नहीं तो इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या आवश्यकता थी और फिर उसी प्रकार से आगे कोई नया इन्टरप्रिटेशन निकालना और फिर दोबारा बचत का रास्ता निकालना, मैं सोचता हूं इससे क्या काम बनेगा ? इसीलिए मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि इसका मूल आधार क्या है इसको आप तय कर लीजिए। आज के नए युग में जबकि 10,000 मील दूरी पर बैठ कर भी हथियारों द्वारा कुछ भी ठिकाने पर आक्रमण किया जा सकता है, इस अणु युग के अगर आप इसका जरा विचार करिए कि यह किस तरह से निर्धारित किए जाएंगे, उसके लिए क्या प्रावधान रखे जाएंगे। अब जैसे खेत उजाड़ के आपने जो कुछ किया, आप सोचिए आजकल की क्या परिस्थिति है, भारतवर्ष के अन्दर आज खाद्यान्न की क्या स्थिति है—मारुती कार न भी हो—लेकिन ये खेती की जमीन है, तो आप अकारण उसको क्यों रोकते हैं ? खेती होने से क्यों मनाही करते हैं ? मेरा निवेदन है कि इसमें तो कुछ विरोध करने की बात नहीं है, साधारण सी बात है,

लेकिन मैंने जो बातें निवेदन की हैं उसको ध्यान में रखते हुए नए सिरे से, संविधान की सुरक्षा का विचार करते हुए, नया कानून आवधि बनाया जाए तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा): उपसभापति जी, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जैसा नवल किशोर जी ने कहा, यह एक बहुत साधारण या विधेयक है और इसमें जैसा आपने भी शुरू होते ही कहा था कि यह 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था...

श्री नवल किशोर : यह नहीं कहा ।

श्री रणबीर सिंह : यह बिलकुल निर्विवाद सा था लेकिन कुछ विरोधी दलों के सदस्य बहुत सारी बातों का जिकर करते हैं चाहे उससे कोई सम्बन्ध हो या नहीं । चूंकि उनको बुखार चढ़ गया है, जो बात जहां नहीं भी होती है उसको खींच तान कर लाया जाना वह अपना धर्म समझते हैं और वे लाते हैं, चाहे उसकी पृष्ठ भूमि कुछ ही हो उसकी तरफ नहीं देखते । उपसभापति जी इस वक्त तो मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त यह प्रश्न उठा उस वक्त मैंने बताया था कि 400 मकान जो मारुति लि० के आस-पास हैं और यह जो 1,000 गज की हदबन्दी है डिफेंस इन्स्टालेशन के साथ, उसमें मारुति को जमीन लेने से पहले वहां ये 400 मकान बने हुए थे...

श्री महावीर त्यागी : वे कहां गए ?

श्री रणबीर सिंह : अभी हाजिर हैं ।

श्री नवल किशोर : इसका अर्थ है कि जो बात मैंने कही वह साबित हो गई ।

श्री रणबीर सिंह : तो यह मारुति का बुखार हर वक्त उनके दिमाग में रहता है और हरियाणा का बुखार भी रहता है । हरियाणा की जो कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, उसको अपने प्रदेशों में अपनाएं तो देश को तरक्की हो सकती है । लेकिन प्रदेश की गरीबी को देखते हुए जलन सी हो गई है । जलन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है । श्री नवल किशोर जी को इसका कोई पता नहीं है । उनको तो पहिले हरियाणा से प्यार था और अब न मालूम हर बात पर हरियाणा उनके ख्याल में क्यों आ जाता है ।

(*Interruption*)

उपसभापति जी, यह एक नई बात है और ये एक नई बात लाना चाहते हैं जिसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं यादव साहब को जानता हूं कि उन्हें एक तरह का बुखार है और उनकी पार्टी को हरिजनों से कोई प्यार नहीं है । मैं उन बातों को यहां पर इस समय नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है और इसके अन्दर जो असल बात है वह यह है कि जो हमारे बड़े-बड़े फौजी आफिसर थे, जिनका श्री नवल किशोर जी ने जिक्र किया, उन लोगों को इस बात का ज्ञान था कि यहां पर इन्टरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है और इन्टरनेशनल हवाई अड्डा बनने की वजह से जो यहां पर डिफेंस इंस्टालेशन्स हैं, वे यहां पर नहीं रहेंगे । इस ज्ञान के बिना पर वे हरियाणा के किसानों से सस्ते दाम पर जमीन खरीदना चाहते थे और उन्होंने खरीदी । एक ने नहीं बल्कि दर्जन आफिसरों ने खरीदी, जिनका जिक्र मैंने पिछले दफा सदन में किया था । उन लोगों ने एक हजार रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी थी, जिसका अभी अभी लोगों ने जिक्र किया था । किसानों को यह पता था कि अपनी खेती की तरक्की के लिए तथा ट्यूबवैल लगाने के लिए भी मजूरी लेनी होती है, और मिलती नहीं, इसलिए उस जमीन के जो भी दाम मिले वह उसको लेना चाहते थे । असल बात यह नहीं थी जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा । बल्कि कुछ फौजी आफिसरों की यह साजिश थी कि इस जमीन को सस्ती दाम पर खरीद लिया जाय । वहां पर नेशनल हाइवे बना । मारुति के आने से पहिले भी वहां पर सड़क थी और किसी ने कभी कोई एतराज नहीं किया । कभी किसी ने कुछ नहीं कहा । जब हमारे प्रदेश के लिए काम शुरू हुआ, तो उस वक्त कुछ लोगों को बुखार शुरू हो गया ।

उपसभापति जी, यहां पर मारुति का जिक्र किया गया, लेकिन मारुति से हमारे प्रदेश को बहुत ज्यादा फायदा है और वहां के किसानों को कितना ज्यादा फ़ायदा हुआ है । आज यादव जी यहां पर तरह-तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वे वहां पर जाकर देखें । वहां पर हरियाणा के किसानों की किस तरह से लूट मचा रखी थी, वे जरा उसकी तरफ भी देखें । वहां पर 12,000 रुपये एकड़ के हिसाब से सरकारी तौर पर जमीन हासिल की गई

[श्री रणबीर सिंह]

लेकिन शुरू में फौजी अफसरों ने हजार और डेढ़ हजार रुपया एकड़ के हिसाब से जमीन ली थी । उन लोगों को इस बात का ज्ञान था कि यहां पर जो डिफेंस इंस्टालेशन हैं वे हटेंगे और इसी खयाल से वे आसपास की सारी जमीन को हड़प लेना चाहते थे । यही नहीं, कुछ भले लोगों, जिनको यह मालूम था कि यहां पर जो डिफेंस इंस्टालेशनस हैं वे होंगे, इसलिए उन्होंने कोई गजट नोटिफिकेशन्स नहीं किया । लेकिन हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की जनता ने उस जमीन को कारखाने लगाने के लिए ले लिया क्योंकि वह उस क्षेत्र में कारखाने लगाना चाहती है । फौजी आफिसरों ने यह जमीन महल बनाने के लिए ली थी और उनके दिमाग में जो स्वपन था वह गायब होते दिखलाई दिया । यही वजह है कि उन्होंने तरह-तरह के बहाने किये । मारुति से पहिले वहां पर जो मकान बने हुए थे, वे किन के हैं ? कितने फौजी आफिसरों के हैं और कितने दूसरे लोगों के हैं ? इस चीज का भी अन्दाजा आपको लगाना चाहिये । जैसा मैंने कहा कि किसानों को फायदा हुआ, तो वह किस तरह से हुआ ? पहले वहां पर 400 रुपया एकड़ जमीन के भाव थे, लेकिन अब वहां पर जमीन के भाव 11 रुपया गज हो गये हैं । अगर 10 या 11 रुपए भी हम मान लें तो भी 50 हजार के लगभग फी एकड़ का भाव बन जाता है । जिसको फौजी अफसर एक हजार और डेढ हजार फी एकड़ के हिसाब से ले रहे थे, उसका भाव 50 हजार रुपया फी एकड़ बन गया । इसलिए मैं मानता हूं कि हरियाणा की सरकार का यह फर्ज था कि . . .

श्री महावीर त्यागी : मैं पूछना चाहता हूं कि मारुति वालों ने कितना दाम दिया फी एकड़ ?

श्री ना० कृ० शेजवलकर: सिर्फ 11 हजार ।

श्री रणबीर सिंह: मैंने बताया कि मारुति से पहले का भाव 1,100 रुपये एकड़ और 2,200 रुपये एकड़ था । मारुति ने जो दाम दिया वह 11 हजार रुपये एकड़ स्वरेज बनता है । उसमें 8-9 हजार रुपये फी एकड़ का फर्क रहा । लेकिन उसकी वजह से हरियाणा को कितना फायदा हुआ । ये जो फौजी अफसर आज चिट्ठियां लिखते हैं, खबर देते हैं, उनकी साजिश से, उनकी लूट से वहां की सरकार ने किसानों को, हरियाणा को बचाया ताकि वहां कारखाने बन सकें, वहां के किसान की तरक्की हो सके । इसके बाद भी मारुति के कारखाने वालों से हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि अगर इस जमीन का दाम अदालत ने ज्यादा बढ़ा दिया तो वह भी मारुति के कारखाने वालों को देना होगा । उनको कितना देना है और कितना उन किसानों को देना है जिनकी जमीन पहले ली है यह अदालती जांच के बाद पता लगेगा, यह मैं और आप नहीं बता सकते, लेकिन जिनकी जमीन उन फौजी अफसरों ने ली थी, उनको कोई फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है । फौजी अफसर, जिनका काम था देश की रक्षा करना और देश की रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान करना, वे दिल्ली के आस-पास की हरियाणा की कीमती जमीन को कौड़ियों के भाव लेना चाहते हैं । हरियाणा की सरकार ने उस साजिश को रोका । हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए एक बहुत अच्छा काम किया । अकेले मारुति में 30-32 हजार आदमियों को काम मिलेगा और एक बड़ा भारी कम्प्लेक्स बनेगा जो हरयाणा की तरक्की में चार चांद लगाएगा । इसलिए मैं मानता हूं कि जिन आदमियों को हरियाणा की तरक्की नहीं भाती है, उन्हें मारुति का बुखार भी रहेगा और . . .

श्री महावीर त्यागी : मारुति का तलपफुज आपका गलत है ।

श्री रणबीर सिंह : वह आप सही कर दीजिए ।

श्री महावीर त्यागी : इसका सही तलपफुज है 'मां रोती है' ।

श्री रणबीर सिंह : यह आपका तलपफुज है । मुझे यह आशा नहीं थी कि त्यागी जी, जिनको इतना प्यार था उस कुटुम्ब से वे उसकी स्पेलिंग से ऐसा शब्द बनाएंगे और ऐसी व्याख्या करेंगे । मैं उनके बहुत करीब से बैठा हूं । जब लड़ाई होती है उस वक्त बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन त्यागी जी से यह उम्मीद नहीं थी कि त्यागी जी भी ऐसी बात कहेंगे । वक्त की बात है, उम्र की बात है, कई दफा उम्र पाकर आदमी समझदार होता है, कई दफा उम्र जब ज्यादा हो जाती है तब समझ कुछ कम हो जाती है ।

श्री महावीर त्यागी : मारुति के साथ इंदिरा गान्धी को लगाना बेकार है। वह तो बेचारी खुद रोती है यह काम तो उसके लड़के का है, उसका नहीं है।

श्री रणबीर सिंह : जहां तक इंदिरा गांधी का काम है, हरियाणा उसको हमेशा याद रखेगा और हरियाणा की जो वे सेवा करेंगे, इस देश की सेवा करेंगे आप जैसे भाईयों को सस्ती कारें दिलाएंगे, वह हमेशा याद रखेंगे। आप कछ कहें या मैं कुछ कहूं, लेकिन आगे आने वाला जमाना बतायेगा। मुझे याद है सरदार प्रताप सिंह कैरों के बच्चों के बारे में लोग बहुत कुछ कहते थे। लेकिन सरदार प्रताप सिंह कैरों को गये 9 साल हो गये, उनके बच्चे उनके ज्यादा लोगों की सहमति लेकर आते है। अगर संजय गांधी इस देश के राजनैतिक इतिहास में आये तो मुझे विश्वास है कि वह इंदिरा गांधी से ज्यादा लायक और होशियार होंगे।

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, tak- j ing the order in which the hon. Minister I numbered these amendments in his intro- | ductory remarks I do not propose to say \ anything about amendment Nos. 1 and | 3. These amendments are undoubtedly i necessary and welcome. I would confine my very brief observations, Sir, to amendment No. 2 covered by clause 3 of this Bill. I do not know why this extension of powers given to a Commissioner of Police should be given to all the Commissioners of Police that are now being appointed outside the Presidency towns also. I have a feeling that the power ought not to have been given to the Commissioner of Police even in the parent enactment because the Commissioner of Police is more or less a police officer and not a magisterial officer. While the Collector is not only the person in charge of the District Administration but he is also invested with magisterial powers. He is the Chief Executive Magistrate of the District. Then there is another aspect. The Commissioners of Police in the Presidency towns —as they were called—of Calcutta, Madras and Bombay were Commissioners with a special status. They had magisterial training and they exercised and still exercise vast magisterial powers. They hold their courts but the Commissioners of Police that are now being appointed in various other towns and cities are not Commissioners invested with similar status or with similar powers. Therefore I should think that the extension now being given by the proposed clause 3 is not altogether very happy.

Then, Sir, as usual the hon. Minister has committed trespass into the provisions of the parent enactment taking the opportunity provided by this amending legislation. Sir, much has been said in regard to one particular matter in Haryana, the Maruti Co. Sir, the point is that the provisions of the parent enactment should not be applied with different standards to different persons and that was sought to be met by the hon. Mr. Ranbir Singh, Member from Haryana. He said that it was quite justified because the rnembers af the Defence Forces were exploiting the situation and that state of affairs was rather prevented by the Maruti Co. coming in. I take, Sir, strong objection and exception to the criticism that has been made against the members of the Defence Forces that they had been exploiting the situation in that particu I ai' area in Haryana. I am not having all the facts that are necessary and I thought that there will be some facts forthcoming from the hon. Member when he made such a serious allegation against our Defence Forces.

SHRI RANBIR SINGH: I cited the price and other facts.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : The allegations made by him against the worthy members of our Defence Forces are absolutely unwarranted and unjustified. Thev have been made with the set purpose of defending the entire Maruti affair and the Maruti acquisition in that area.

One more thing and I have done. Vari-aus rules, orders and notifications have been issued under the parent enactment. Most of these notifications are outmoded and they require review. Notifications have been issued in respect of restrictions on the use and enjoyment of various lands in the vicinity of works of defence, where

[Shri K. Chand rasekharan] works 03 defence once upon a time exi-t-ed. There are no works of defence and there are no defence establishments at all and yet in very many places these notifications continue to stand. When the matter is taken up either with the State Government or the subordinate authorities or even with tlie Defence Ministry, the reply comes that possibly the defence works may have to be reestablished and, therefore, the notification would stared. I submit that the notifications issued under the parent enactment restricting the use or enjoyment of the land under various orders in various States require immediate review, particularly on account of the fact that the use and enjoyment of land is becoming more and more necessary in view of urban expansion and increase in population.

DR. M. R. VYAS (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Bill presented to the House is a kind of routine one and something which is logical. However, I would like to draw the attention of the Defence Minister to the importance of the original Act and the necessity of looking into the details of the original Act, paying greater attention to the modern day defence requirements of the countiy. I wish the opposition, instead of rubbing in their old and jaundiced point of view on Maruti, had taken more care to look into the essentials of what is before the House. The original Act itself provides that there should be sufficient protection of our military establishments and areas from en- , croachment. Now, the original Act came J into being in 1903. Even the word 'Indian' which was superfluous after 1947, has been | overlooked for 26 years. I am afraid there are many other things which have been overlooked even today. The majority of defence establishments that exist in this country today are reminiscent of the left-overs of the British conception of defence and strategy. Now, we might put a question about this or that minor encroachment, but here I would like to cite, as an illustration, an important example of something that is happening in the city of Bombay. As you know, the British strategy was based on the conception of running out into the sea in case there was an attack from the mainland. The British conception was never to look upon the mainland as their base, but the sea as the base. From this point of view, they had established their military base and naval base at the southern-most corner of the city of Bombay. In course of years, because this particular point has become overcrowded with population around and buildings around, what do you see ? There is such encroachment that there is nothing of secrecy left in this area. There is nothing of isolation left in this area. Even looking to the present trend, it has at least aslonished me and I have not been able to s :e the logic of it. Why have we a new naval harbour being constructed next and very next to the Gate way of India where thousands and thousands of people throng' It is just across only a hundred yards—we are not talking of even a thousand yards—just a hundred yards across we have allowed a new 22-storeyed building of the Hotel Inter-Continental. From this building you do not have to spy on anything about the naval harbour. You just sit on the 22nd floor and look from the window. You can see what is happening in our entire naval harbour. I have seen notices being served on small dhobi ghats for encroaching upon a military area. They have been told that they are encroaching and they are creating a danger to defence. Now, in this area the dhobis do not go on the 22nd floor. They remain on the ground. But here right tn front of our view, a naval harbour is being reconstructed and enlarged right now, and in an area which is just exposed. So I do not know what logic is there behind asking for more powers or for enlargement of the exercise of the powers when those which exist are not being utilised for maintaining proper secrecy of our defence. I am not a man who likes to go and spy on anything. But travelling from Bombay, to Delhi I pass through a railway line and just opposite to it, for three miles, what do I see? Our pipeline and our

biggest petroleum dump lie right across for anybody to see and observe. Now, 1 think, that this whole system should change. The British had cantonment systems because in the cantonments they could control tlie influx of population. Those cantonments have lost their value because today anybody can go there and see for himself things and establish himself where he likes and as he likes. So it is not a question of giving powers here and there to somebody. But I think the time has come when the Defence Department and our Defence Chiefs should look into the establishment of new centres from the point of view of secrecy. Not only that. I am afraid, we are still utilising the same conception of lay-out of our military establishments as left over by the British. They were concentrated only near the big cities because their conception was that defence should be next to the city which they were controlling. They had no belief in the support of the population. They had no frontiers in the west to guard, nor in the east. The only cities on the coast line to guard ivere Calcutta, Bombay and Madras. I would like the Defence Department to plan out the new centres of our defence points and cantonments in a way that they do not go near lUc possible points of town expansion. It is no use putting up a naval harbour in Bombay and expect all the people to disappear or putting up a big complex near Palam Airport and expect no aeroplane to fly over. This would be something impossible.

So I would very much like that instead of making minor changes the Government of India, especially the Defence Department and our Chiefs of Staff should look into this idea and requirement of modern-day defence. Secrecy is something which is very much essential in the defence of any country. After all, many battles are lost not on the weapons but before even the battle starts because secrecy is not there. In this country, more than any other country, we have no iden-tification, we have no control over the movement of anybody. It is very easy for anybody to spy und locate where our defences are.

Jn this connection, I may point out, with regard Io defence location in the city pf Bombay, in the southern tip, where everybody can go and inspect, and it is high time that we go away from this point of view of defence that the British had in mind and come to a new thinking. Our border extends from the Cutch to Hussain-vvala: this is a huge boundary, and I would like to see one single point of cantonment coming in this area. I would like to know where any railway line has been built to supply the centres or new roads constructed to take our defence points away from the Centre of bigger inhabitation nnd industrial plants. I would very much like the Defence Department to look into this question from this fundamental point of view rather than putting up a Commissioner or a non-Commissioner who anyway does not do the job but tries to communicate a thing which will have no value of significance or importance to our defence. Thank you.

SHRI J. B. PATNAIK : I am thankful to hon'ble Members for the general support they have given to this amendment. There are certain criticisms regarding particular amendments. Regarding the Commissioner of Police hon'ble Shri Chandra sekhar raised his point of objection that Ihe Commissioner should not be approached by the Collectors in this regard. Sir, the Collectors in all cases do not have the magisterial power. Where the Collector has the magisterial power he need not approach a magistrate or a Commissioner authorised for the purpose. Wherever the Collector does not have magisterial power he, according to this Act, should approach i magistrate in cities, where the magisterial and the police powers are combined in a Police Commissioner. Formerly these two powers were combined in Police Commissioners in three metropolitan cities. Now n some cities posts of Police Commissioners have been created who combine

[Shri J. B. Patnaik] these powers of the magistrate and the police. Hence this amendment is called for.

Sir, regarding the modernity of this Act, the aspect has been dealt with by some hon'ble Members. I have to say that the scope of the Act remains almost the same. The definition of Defence Works has not changed since 1903 whether it was in the British days or during the present period. It has changed neither in this country nor abroad. The hon'ble Member should appreciate that defence works need certain safety, certain security besides the possible expansion of these works. Hence the provision for restriction on the use of the land adjoining to the defence works. That does not mean, however, that no new construction would come up within this restricted area, no well could be dug, no building could come up. It is not that. Section 38 of the Act provide? that it is possible to permit certain constructions; digging of wells etc. can be allowed if applied for to the appropriate authorities who have been authorised ir this Act. Sir, many such constructions have come up in such restricted areas around the Defence works all over the country. So this is not a very rigid clause prohibiting a rational use of land so restricted around the defence works.

Now 1 come to the observations made by hon'ble Shri Vyas regarding the Cantonment Act. The hon'ble Member Shri Shejwalkar, also referred to this Act But this is extraneous for the consideration of this particular Bill. The Canton ment Act is altogether a different Act and the Government is also thinking of amend ing that Act. This particular Act does nol concern the Cantonments. Tt consists ol the defence works in particular. So I am not going into the propriety of the Cantonments Act. I would say this much foi the benefit of the hon. Member that th< purpose of the cantonment remains th< same. The cantonments are army stations they are dwelling places of the armed forces. And these cantonments would invariably continue in this countiy so long as the armed forces are there.

Sir, another question has been raised regarding the implementation of this Act. The hon. Member, Mr. Nawal Kishore and a few other Members have raised the objection that this Act has been partially implemented and there was a partisan way of implementing this Act in regard to the land given to the Haryana Government. Sir, I would like to mention here that the land that was restricted according to this Act in 1962 was concerning the Army ammunition depot. That Army ammunition depot ceased to function in 1966. Then the Air Force ammunition depot took over that particular place. Strictly legally speaking, this land that was restricted for the purpose of the Army ammunition depot did not continue in that capacity when this Air Force ammunition depot came into existence.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मारुति भी उसी डिपो में आता है ।

SHRl MAHAVIR TYAGI : Was it not the same type of depot? Only the word •"air" was substituted for the word "army".

SHRI J. B. PATNAIK : It was not the same type of depot. There are subtle differences between Air Force ammunition depot and Army ammunition depot.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : What is the difference between Army and Air Force ammunition depots ? I do not think there is any.

SHRI J. B. PATNAIK: A depot which contains ammunition for the Air Force is called an Air Force ammunition depot and a depot which contains ammunition for the Army is called an Army ammunition do-pot. The same type of ammunition is not required by the Air Force and the Army. That is the difference. There is another point to be remembered in this respect. In 1968 it was decided to de-requisition 415 acres of land in district Gurgaon which I was in the possession of the Ministry of

Defence. This also included a part of the land occupied by the Air Force depot. So, in view of these changes, a fresh declaration under the Tndian Works, of Defence Act, 1903 was required to be published in order to continue any restrictions. Such a declaration was published in the Gazette of India on the llth January, 1969. However, the legal requirements to make the publication of this declaration effective was inadvertently not complied with. The law requires that the Collector of the District concerned shall cause public notice of the substance of the notification to be given at a convenient place in the locality. For this purpose, as provided in the law, a copy of the notification shall be given to the concerned State Government.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : When did you come to know of this defect ?

SHRl J. B. PATNAIK: Please listen. Unfortunately in thos particular case, a copy of the notification was not sent to the Haryana Government. So when a copy of the notification was not sent to the Haryana Government along with a map required for the purpose, the notification was really defective. And, Sir, it could not come into operation. So, this has been settled long ago. In the other House a question was raised in regard to this matter and an answer has been given to the satisfaction of the hon. Members. [will read out the answer now :-—

"The notification published under the Indian Works of Defence Act, 1903 in the Gazette dated the 1 Ith January, 1969 in regard to the Air Force Unit at No. 54 ASP remained inoperative due to a copy of the said notification not having been sent to the State Government for action under Section 3(2) of the Act. This was due to inadvertence. The Under Secretary responsible for this omission has died and the Section Officer and the Assistant who dealt with this case have since retired. No disciplinary action is, therefore, possible, obviously."

Therefore, Sir, this issue has been closed since long, but the honourable Members still mention it.

SHRl MAHAVIR TYAGI: But the notification was published in the Gazette. Was it published in the Gazette or not ?

SHRI J. B. PATNAIK: It was published in the Gazette. It was published in the Gazette already. But it was also required that a copy of this notification should be sent to the concerned State Government. But this notification was not sent due to inadvertence.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: When it was published in the Gazette, the Government could take action on it. Cannot the Government take action on the basis of the Gazette notification ?

SHRI J. B. PATNAIK : I am not going into the details of the case now. This issue has already been settled and we are not having a debate on this.

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi): We sympathise with you because you have an indefensible case.

SHRI J. B. PATNAIK: It is not an indefensible case. As this happened long ago and the Maruti . .

(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Sir, for the information of the honourable Members, the Defence Minister has already cleared the issue in the other House.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : Sir, when did he come to know of this ?

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : You might have cleared it in the other House. But you have to clear it here also.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: All the proceedings are with me and I know it fully well.

SHRl J. B. PATNAIK : Sir, I have taken pnins to explain the whole thing.

SHRI LAL K. ADVANI: Yes, it is a painful job.

SHRI J. B. PATNAIK: It is not a painful job; it is a pleasant job to explain it to you.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : It is a thankless job.

SHRl J. B. PATNAIK : Sir, I have covered all the points raised by the honourable Members to the best of their satisfaction and according to the information available at my command.

Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

'That the Bill further to amend the Indian Works of Defence Act, 1903, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses. 2 to A were added in the Biit,

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI J. B. PATNAIK: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and ihe motion was adpotcd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House Stands adjourned now till 11-00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at forty-nine minutes past three of the clock till eleven of the clock on Friday, the 30th November, 1973.

MG1PRRND—III D/S—43 RSS/73-12-2-1974—595.